



स्टॉक ब्रोकरों और ग्राहकों के अधिकार एवं दायित्व

(SEBI और स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित अनुसार)

ग्राहक केवल उन्हीं प्रतिभूतियों/अनुबंधों/अन्य उपकरणों में निवेश/व्यापार करेगा जो एक्सचेंजों पर लेन-देन हेतु स्वीकृत (admitted) हों, जैसा कि एक्सचेंजों के नियमों, उपविधियों (Byelaws) और विनियमों (Regulations) / भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (SEBI) तथा समय-समय पर जारी परिपत्रों/सूचनाओं में परिभाषित है।

स्टॉक ब्रोकर और ग्राहक, एक्सचेंज के सभी नियमों, उपविधियों और विनियमों तथा उनके अंतर्गत समय-समय पर जारी परिपत्रों/सूचनाओं, SEBI के नियमों एवं विनियमों तथा समय-समय पर लागू सरकारी प्राधिकरणों की प्रासंगिक अधिसूचनाओं से बंधे होंगे।

ग्राहक स्वयं यह सुनिश्चित करेगा कि स्टॉक ब्रोकर में प्रतिभूतियों में लेन-देन करने और/या डेरिवेटिव (derivatives) अनुबंधों में लेन-देन करने की क्षमता है तथा वह अपने आदेश स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से निष्पादित करना चाहता है। ग्राहक समय-समय पर स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से आदेश निष्पादित करने से पहले उसकी उक्त क्षमता से स्वयं को संतुष्ट करता रहेगा।

स्टॉक ब्रोकर ग्राहक की प्रामाणिकता, वित्तीय सुदृढ़ता तथा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के अनुरूप निवेश उद्देश्यों के बारे में निरंतर स्वयं को संतुष्ट करेगा।

स्टॉक ब्रोकर ग्राहक को इस बात से अवगत कराने के लिए कदम उठाएगा कि व्यापार संचालन के लिए स्टॉक ब्रोकर की देयता (liability) की सटीक प्रकृति क्या है, जिसमें कोई भी सीमाएँ, देयता और वह किस क्षमता (capacity) में कार्य कर रहा है, शामिल हैं।

ग्राहक जानकारी

ग्राहक “खाता खोलने के फॉर्म (Account Opening Form)” में स्टॉक ब्रोकर द्वारा माँगी गई सभी आवश्यक जानकारियाँ, स्टॉक एक्सचेंज/SEBI द्वारा समय-समय पर अनिवार्य किए गए सहायक दस्तावेजों सहित, पूर्ण रूप से प्रदान करेगा।



ग्राहक खाता खोलने से संबंधित दस्तावेजों में दिए गए सभी अनिवार्य प्रावधानों से स्वयं को परिचित करेगा। स्टॉक ब्रोकर द्वारा निर्दिष्ट कोई अतिरिक्त धाराएँ/दस्तावेज ग्राहक द्वारा स्वीकार की गई शर्तों के अनुसार गैर-अनिवार्य होंगे।

यदि “खाता खोलने के फॉर्म” में दी गई जानकारी (खाता खोलते समय या उसके बाद) में कोई परिवर्तन हो – जिसमें विंडिंग-अप याचिका/दिवाला याचिका या कोई मुकदमा/विवाद (litigation) जो उसकी क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता हो – तो ग्राहक तुरंत लिखित रूप में स्टॉक ब्रोकर को सूचित करेगा। ग्राहक समय-समय पर स्टॉक ब्रोकर को वित्तीय जानकारी प्रदान/अद्यतन करेगा।

स्टॉक ब्रोकर खाते खोलने के फॉर्म में उल्लिखित ग्राहक के सभी विवरण या ग्राहक से संबंधित अन्य किसी भी जानकारी को गोपनीय रखेगा और कानून/नियामकीय आवश्यकताओं के अंतर्गत आवश्यक होने पर ही किसी व्यक्ति/प्राधिकरण को प्रकट करेगा। तथापि, स्टॉक ब्रोकर ग्राहक की स्पष्ट अनुमति से ग्राहक की जानकारी किसी व्यक्ति/प्राधिकरण को दे सकता है।

मार्जिन (Margins)

ग्राहक लागू प्रारंभिक मार्जिन, withholding मार्जिन, विशेष मार्जिन या अन्य आवश्यक मार्जिन, जैसा कि स्टॉक ब्रोकर/एक्सचेंज आवश्यक समझे या SEBI द्वारा समय-समय पर निर्देशित हो, उस/उन खंड(segments) के लिए भुगतान करेगा जिनमें ग्राहक ट्रेड करता है। स्टॉक ब्रोकर अपने एकमात्र एवं पूर्ण विवेकाधिकार से अतिरिक्त मार्जिन (भले ही एक्सचेंज/क्लियरिंग हाउस/क्लियरिंग कॉर्पोरेशन/SEBI द्वारा आवश्यक न हो) भी ले सकता है, और ग्राहक निर्धारित समय में ऐसे मार्जिन का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा।

ग्राहक समझता है कि मार्जिन का भुगतान करना आवश्यक रूप से सभी देय राशि की पूर्ण पूर्ति नहीं है। लगातार मार्जिन भुगतान के बावजूद, ट्रेड के निपटान पर ग्राहक को अनुबंध के अनुसार आगे भुगतान करना पड़ सकता है (या प्राप्त करने का अधिकार हो सकता है)।

लेन-देन और निपटान (Transactions and Settlements)



ग्राहक किसी प्रतिभूति/डेरिवेटिव अनुबंध के खरीद/बिक्री आदेश लिखित रूप में या उस रूप/तरीके से देगा जैसा ग्राहक और स्टॉक ब्रोकर के बीच आपसी सहमति से तय हो। स्टॉक ब्रोकर सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक के आदेश और ट्रेड केवल उसी ग्राहक कोड (Unique Client Code) में डाले/निष्पादित किए जाएँ जो उस ग्राहक को आवंटित है।

स्टॉक ब्रोकर ग्राहक को ट्रेडिंग/सेटलमेंट चक्र, डिलीवरी/भुगतान अनुसूचियाँ तथा समय-समय पर होने वाले बदलावों की जानकारी देगा। संबंधित एक्सचेंज की अनुसूचियों/प्रक्रियाओं का पालन करना ग्राहक की जिम्मेदारी होगी।

स्टॉक ब्रोकर सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक द्वारा जमा धन/प्रतिभूतियाँ एक अलग खाते में रखी जाएँगी, जो ब्रोकर के अपने खाते या अन्य किसी ग्राहक के खाते से पृथक होगा, और इन्हें SEBI/एक्सचेंज के नियम/विनियम/परिपत्र/सूचना/दिशानिर्देशों में बताए उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य हेतु उपयोग नहीं किया जाएगा।

जहाँ एक्सचेंज स्वप्रेरणा (suo moto) से ट्रेड रद्द करता है, वहाँ ग्राहक की ओर से किए गए ट्रेड सहित सभी ऐसे ट्रेड स्वतः रद्द माने जाएँगे, और स्टॉक ब्रोकर ग्राहक के साथ संबंधित अनुबंध(ों) को रद्द करने का हकदार होगा।

एक्सचेंज पर निष्पादित लेन-देन संबंधित एक्सचेंज के नियमों, उपविधियों, विनियमों तथा परिपत्रों/सूचनाओं के अधीन होंगे और ऐसे ट्रेड के सभी पक्षकारों ने उन न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया होगा जैसा संबंधित एक्सचेंज के उपविधि/विनियमों में निर्दिष्ट हो।

ब्रोकरेज

ग्राहक स्टॉक ब्रोकर को लागू ब्रोकरेज और वैधानिक शुल्क/लेवी (statutory levies) का भुगतान करेगा जो समय-समय पर प्रचलित हों और ग्राहक के खाते/लेन-देन/सेवाओं पर लागू हों। स्टॉक ब्रोकर संबंधित एक्सचेंज/SEBI के नियमों के अनुसार अनुमत अधिकतम ब्रोकरेज से अधिक नहीं लेगा।

पोज़िशन का परिसमापन/क्लोज़-आउट (Liquidation and Close Out)



स्टॉक ब्रोकर के अन्य अधिकारों (जिसमें विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजने का अधिकार भी शामिल है) को प्रभावित किए बिना, ग्राहक समझता है कि मार्जिन या अन्य देय राशियों का भुगतान न होने, बकाया देनदारियों आदि की स्थिति में स्टॉक ब्रोकर ग्राहक की किसी भी/सभी पोजिशनों को परिसमाप्त/क्लोज-आउट कर सकता है और यदि कोई प्राप्ति हो तो उसे ग्राहक की देयताओं/दायित्वों के विरुद्ध समायोजित कर सकता है। ऐसे क्लोज-आउट/परिसमापन से होने वाले सभी नुकसान और वित्तीय शुल्क ग्राहक पर लगाए जाएंगे और ग्राहक द्वारा वहन किए जाएंगे।

ग्राहक की मृत्यु/दिवालिया होने या अन्यथा खरीदी/बेची जाने वाली प्रतिभूतियों को प्राप्त/भुगतान करने या डिलीवरी/हस्तांतरण करने में अक्षम होने की स्थिति में, स्टॉक ब्रोकर ग्राहक के लेन-देन को क्लोज-आउट कर सकता है और यदि कोई नुकसान हो तो ग्राहक की संपत्ति (estate) पर दावा कर सकता है। ग्राहक/उसके नामांकित व्यक्ति/उत्तराधिकारी/वारिस/हस्तांतरण-प्राप्तकर्ता को यदि कोई अधिशेष (surplus) हो तो उसका अधिकार होगा। ग्राहक नोट करे कि नामांकित व्यक्ति के पक्ष में धन/प्रतिभूतियों का हस्तांतरण स्टॉक ब्रोकर के लिए वैध निर्वहन (valid discharge) माना जाएगा।

स्टॉक ब्रोकर भुगतान/डिलीवरी में चूक तथा संबंधित पहलुओं की जानकारी संबंधित एक्सचेंज को देगा। यदि चूककर्ता ग्राहक कॉर्पोरेट/पार्टनरशिप/एकल स्वामित्व फर्म या अन्य कृत्रिम कानूनी इकाई हो, तो निदेशक/प्रवर्तक/भागीदार/मालिक के नाम भी एक्सचेंज को बताए जाएंगे।

विवाद निवारण (Dispute Resolution)

स्टॉक ब्रोकर ग्राहक को संबंधित एक्सचेंजों और SEBI के संपर्क विवरण प्रदान करेगा।

स्टॉक ब्रोकर, अपने माध्यम से किए गए सभी लेन-देन के संबंध में ग्राहक की शिकायतों के निवारण और खराब डिलीवरी/उसकी सुधार आदि में सहयोग करेगा।

ग्राहक और स्टॉक ब्रोकर जमा, मार्जिन राशि आदि से संबंधित किसी भी दावे/विवाद को संबंधित एक्सचेंज के नियम/उपविधि/विनियम तथा परिपत्रों/सूचनाओं के अनुसार सुलह/मध्यस्थता (conciliation/arbitration) के लिए संदर्भित करेंगे।



स्टॉक ब्रोकर सुलह/मध्यस्थता की कार्यवाही के माध्यम से विवाद का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करेगा और ऐसी कार्यवाही में बने सुलह-प्रतिवेदन/समझौता या मध्यस्थता निर्णय (award) को लागू करने के लिए उत्तरदायी होगा।

ग्राहक/स्टॉक ब्रोकर समझता है कि विवाद निवारण के लिए उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जारी निर्देश, प्राधिकरण-पत्र के अनुसार ग्राहक/स्टॉक ब्रोकर पर बाध्यकारी होंगे।

संबंध समाप्ति (Termination of Relationship)

यदि स्टॉक ब्रोकर किसी भी कारण से स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य नहीं रहता – जिसमें डिफॉल्ट, मृत्यु, इस्तीफा, निष्कासन या बोर्ड द्वारा प्रमाणपत्र रद्द होना शामिल है – तो स्टॉक ब्रोकर और ग्राहक का संबंध समाप्त माना जाएगा।

स्टॉक ब्रोकर और ग्राहक, बिना कारण बताए, कम-से-कम एक माह का लिखित नोटिस देकर संबंध समाप्त कर सकते हैं। परंतु, इस समाप्ति के बावजूद, समाप्ति से पहले किए गए लेन-देन से उत्पन्न सभी अधिकार, देयताएँ और दायित्व संबंधित पक्षों (या उनके वारिस/निष्पादक/प्रशासक/कानूनी प्रतिनिधि/उत्तराधिकारी) पर जारी रहेंगे।

अतिरिक्त अधिकार एवं दायित्व (Additional Rights and Obligations)

स्टॉक ब्रोकर यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक के अधिकार – जैसे लाभांश, राइट्स या बोनस शेयर आदि – उन लेन-देन के संबंध में सुरक्षित रहें जो उसके माध्यम से किए गए हों, और वह ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो ग्राहक के हितों को नुकसान पहुँचाए।

स्टॉक ब्रोकर और ग्राहक, समय-समय पर, SEBI और संबंधित एक्सचेंजों के नियम/विनियम/उपविधि/परिपत्र/सूचना/दिशानिर्देशों के अनुसार अपने खातों का मिलान और निपटान करेंगे।

स्टॉक ब्रोकर, एक्सचेंज द्वारा निर्धारित प्रारूप में, निष्पादित ट्रेडों हेतु कॉन्ट्रैक्ट नोट जारी करेगा जिसमें ऑर्डर नंबर, ट्रेड नंबर, ट्रेड समय, ट्रेड मूल्य, मात्रा, डेरिवेटिव अनुबंध का विवरण, क्लाइंट कोड, ब्रोकरेज, लगाए गए सभी शुल्क आदि का रिकॉर्ड तथा अन्य



आवश्यक विवरण होंगे, और यह एक्सचेंज द्वारा निर्धारित तरीके एवं समय-सीमा के भीतर जारी किया जाएगा। स्टॉक ब्रोकर ट्रेड निष्पादन के एक कार्य दिवस के भीतर निवेशकों को हार्ड कॉपी और/या डिजिटल हस्ताक्षर सहित इलेक्ट्रॉनिक रूप में कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजेगा।

स्टॉक ब्रोकर संबंधित एक्सचेंज से पे-आउट प्राप्त होने के एक कार्य दिवस के भीतर ग्राहक को धन/प्रतिभूतियों का पे-आउट/डिलीवरी करेगा, जब तक ग्राहक अन्यथा निर्दिष्ट न करे, और यह संबंधित एक्सचेंज द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन होगा।

स्टॉक ब्रोकर, अपने प्रत्येक ग्राहक हेतु धन और प्रतिभूतियों के लिए “स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स” निर्धारित आवृत्ति/प्रारूप/समय के भीतर भेजेगा। स्टेटमेंट में यह भी होगा कि ग्राहक, यदि कोई त्रुटि हो, तो एक्सचेंज द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर स्टॉक ब्रोकर को सूचित करेगा।

स्टॉक ब्रोकर ग्राहकों को दैनिक मार्जिन स्टेटमेंट भेजेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ, जमा कोलैटरल, उपयोग हुआ कोलैटरल और कोलैटरल स्थिति (उपलब्ध शेष/ग्राहक से देय) का विवरण नकद, FDR, बैंक गारंटी और प्रतिभूतियों के विभाजन सहित होगा।

ग्राहक सुनिश्चित करेगा कि उसके पास स्टॉक ब्रोकर के साथ संबंध में प्रवेश करने की आवश्यक कानूनी क्षमता एवं प्राधिकरण है और वह अपने दायित्वों का पालन करने में सक्षम है। ग्राहक द्वारा जिन लेन-देन में प्रवेश किया जाएगा, उनके अनुपालन हेतु आवश्यक सभी कार्य, लेन-देन से पूर्व ग्राहक द्वारा पूर्ण किए जाएंगे।

स्टॉक ब्रोकर/स्टॉक ब्रोकर और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ग्राहकों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से पावर ऑफ अटॉर्नी (PoA) या डिमैट डेबिट एंड प्लेज इंस्ट्रक्शन (DDPI) निष्पादित करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे और यदि ग्राहक PoA या DDPI निष्पादित करने से इंकार करे तो सेवाएँ देने से मना नहीं करेंगे।

इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट (ECN)

यदि ग्राहक कॉन्ट्रैक्ट नोट इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त करना चुनता है, तो वह स्टॉक ब्रोकर को उपयुक्त ई-मेल आईडी देगा। ई-मेल आईडी में परिवर्तन होने पर ग्राहक भौतिक पत्र द्वारा स्टॉक ब्रोकर को सूचित करेगा। यदि ग्राहक इंटरनेट ट्रेडिंग चुनता है, तो ई-मेल



आईडी बदलने का अनुरोध सुरक्षित एक्सेस (क्लाइंट यूजर आईडी और पासवर्ड) द्वारा किया जा सकता है।

स्टॉक ब्रोकर सुनिश्चित करेगा कि ई-मेल द्वारा भेजे गए सभी ECN डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित, एन्क्रिप्टेड, छेड़छाड़-रोधी (non-tamperable) हों और IT Act, 2000 का अनुपालन करते हों। यदि ECN ई-मेल के अटैचमेंट के रूप में भेजा जाए, तो अटैच फाइल भी डिजिटल हस्ताक्षर सहित एन्क्रिप्टेड और छेड़छाड़-रोधी होगी।

ग्राहक ध्यान दे कि बाउंडेड मेल सूचना स्टॉक ब्रोकर को प्राप्त न होना, ग्राहक के ई-मेल आईडी पर कॉन्ट्रैक्ट नोट की डिलीवरी माना जाएगा।

स्टॉक ब्रोकर, एक्सचेंज द्वारा निर्धारित तरीके से, IT Act, 2000 तथा SEBI/स्टॉक एक्सचेंजों के लागू नियम/विनियम/परिपत्र/दिशानिर्देशों के अनुसार ECN और ई-मेल स्वीकृति (acknowledgement) का रिकॉर्ड सॉफ्ट और छेड़छाड़-रोधी रूप में रखेगा। डिलीवरी के प्रमाण (जैसे सिस्टम द्वारा जनरेटेड लॉग रिपोर्ट) को नियामकों द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक संरक्षित रखा जाएगा। लॉग रिपोर्ट में न डिलीवर हुए/रिजेक्ट/बाउंस हुए ई-मेल का विवरण होगा। स्टॉक ब्रोकर यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाएगा कि उसे बाउंडेड मेल की सूचना समय-सीमा के भीतर मिलती रहे।

जो ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं चुनते, उन्हें स्टॉक ब्रोकर भौतिक रूप में कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजता रहेगा। जहाँ ECN ग्राहक तक नहीं पहुँचा/रिजेक्ट हुआ (बाउंस), वहाँ स्टॉक ब्रोकर नियामकीय समय-सीमा के भीतर ग्राहक को भौतिक कॉन्ट्रैक्ट नोट या इलेक्ट्रॉनिक इंस्टेंट मैसेजिंग सेवाओं द्वारा ECN भेजेगा और डिलीवरी का प्रमाण रखेगा।

ई-मेल संप्रेषण के अतिरिक्त, स्टॉक ब्रोकर अपने नामित वेबसाइट (यदि कोई हो) पर भी ECN सुरक्षित तरीके से प्रकाशित करेगा और ग्राहक को एक्सेस हेतु विशिष्ट यूजरनेम/पासवर्ड देगा, ताकि ग्राहक कॉन्ट्रैक्ट नोट को इलेक्ट्रॉनिक रूप में सहेज सके और/या प्रिंट निकाल सके।

कानून और अधिकार क्षेत्र (Law and Jurisdiction)

इस दस्तावेज़ में निर्धारित विशिष्ट अधिकारों के अतिरिक्त, स्टॉक ब्रोकर और ग्राहक को उन एक्सचेंजों के नियम/उपविधि/विनियम तथा SEBI के नियम/विनियम और



परिपत्रों/सूचनाओं के अंतर्गत अन्य अधिकार भी प्राप्त होंगे जिनमें ग्राहक व्यापार करता है।

यह दस्तावेज़ हमेशा सरकारी अधिसूचनाओं, SEBI द्वारा जारी नियम/विनियम/दिशानिर्देश/परिपत्र/सूचनाओं तथा उस संबंधित एक्सचेंज के नियम/विनियम/उपविधियों के अधीन रहेगा जहाँ ट्रेड निष्पादित हुआ है, जो समय-समय पर लागू हों।

स्टॉक ब्रोकर और ग्राहक, मध्यस्थ/सुलहकर्ता द्वारा Arbitration and Conciliation Act, 1996 के अंतर्गत पारित सुलह-प्रतिवेदन/समझौता/मध्यस्थता निर्णय का पालन करेंगे। तथापि, यदि किसी पक्ष को निर्णय से असंतोष हो, तो स्टॉक एक्सचेंजों में अपील का भी प्रावधान है।

इस दस्तावेज़ में प्रयुक्त वे शब्द/अभिव्यक्तियाँ जो यहाँ परिभाषित नहीं हैं, संदर्भ अन्यथा न हो तो, एक्सचेंज/SEBI के नियम/उपविधि/विनियम तथा परिपत्र/सूचनाओं में दिए गए अर्थ ही रखेंगे।

स्टॉक ब्रोकर द्वारा जोड़े गए अतिरिक्त स्वैच्छिक क्लॉज/दस्तावेज एक्सचेंज/SEBI के नियम/विनियम/सूचना/परिपत्रों के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। ऐसे स्वैच्छिक क्लॉज/दस्तावेजों में परिवर्तन के लिए 15 दिन पूर्व नोटिस आवश्यक होगा। एक्सचेंज/SEBI द्वारा निर्दिष्ट अधिकार व दायित्वों में बदलाव भी ग्राहकों को सूचित किए जाएँगे।

यदि SEBI के नियम/विनियम या संबंधित एक्सचेंज के उपविधि/नियम/विनियम में परिवर्तन के कारण पक्षों के अधिकार/दायित्व बदलते हैं, तो ऐसे परिवर्तन इस दस्तावेज़ में सम्मिलित माने जाएँगे।

इंटरनेट एवं वायरलेस तकनीक आधारित ट्रेडिंग सुविधा (IBT)



(स्टॉक ब्रोकर द्वारा ग्राहकों को प्रदान की गई)

(‘Rights and Obligations’ दस्तावेज़ के सभी क्लॉज लागू होंगे। साथ ही नीचे दिए क्लॉज भी लागू होंगे।)

स्टॉक ब्रोकर इंटरनेट आधारित ट्रेडिंग (IBT) और वायरलेस तकनीक (जैसे मोबाइल, लैपटॉप + डेटा कार्ड आदि जो IP का उपयोग करते हैं) के माध्यम से प्रतिभूति ट्रेडिंग प्रदान करने के लिए पात्र है। स्टॉक ब्रोकर, SEBI व एक्सचेंजों द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट सभी आवश्यकताओं का पालन करेगा।

ग्राहक प्रतिभूतियों में निवेश/ट्रेडिंग हेतु इंटरनेट आधारित सुविधा या वायरलेस तकनीक आधारित सुविधा का उपयोग करना चाहता है। स्टॉक ब्रोकर ग्राहक को अपनी IBT सेवा SEBI/एक्सचेंज प्रावधानों और IBT वेबसाइट पर दी शर्तों के अधीन प्रदान करेगा (बशर्त वे एक्सचेंज/SEBI के मानदंडों के अनुरूप हों), और ग्राहक इन्हीं शर्तों के अधीन सेवा का उपयोग करेगा।

स्टॉक ब्रोकर ग्राहक को वायरलेस/इंटरनेट/स्मार्ट ऑर्डर रूटिंग या अन्य तकनीक के माध्यम से ट्रेडिंग से जुड़े फीचर्स, जोखिम, जिम्मेदारियाँ, दायित्व और देयताओं की जानकारी देगा।

स्टॉक ब्रोकर ग्राहक को बताएगा कि IBT सिस्टम प्रारंभिक पासवर्ड स्वयं जनरेट करता है तथा उसकी पासवर्ड नीति एक्सचेंज/SEBI मानदंडों के अनुरूप है।

ग्राहक यूजरनेम व पासवर्ड को गोपनीय/सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार होगा और ग्राहक के यूजरनेम/पासवर्ड से (चाहे अधिकृत हो या नहीं) किसी भी व्यक्ति द्वारा दर्ज किए गए सभी आदेश/लेन-देन के लिए ग्राहक स्वयं जिम्मेदार होगा। ग्राहक यह भी समझता है कि इंटरनेट/वायरलेस ट्रेडिंग हेतु मजबूत प्रमाणीकरण तकनीक और कड़े सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं तथा वह सुनिश्चित करेगा कि उसका/उसके अधिकृत प्रतिनिधि का पासवर्ड किसी तीसरे पक्ष (स्टॉक ब्रोकर के कर्मचारियों/डीलरों सहित) को न बताया जाए।

यदि ग्राहक पासवर्ड भूल जाए, IBT सिस्टम में सुरक्षा कमी पाए, या अपने यूजरनेम/पासवर्ड/अकाउंट से अनधिकृत पहुँच/अंतर का पता चले/संदेह हो, तो वह पूर्ण विवरण (तारीख, तरीका, किए गए लेन-देन आदि) के साथ तुरंत लिखित रूप में स्टॉक ब्रोकर को सूचित करेगा।



ग्राहक इंटरनेट/वायरलेस के माध्यम से ऑर्डर रूटिंग सेवा लेने से जुड़े जोखिमों को समझता है और अपने यूजरनेम/पासवर्ड के माध्यम से किसी भी प्रकार से किए गए सभी कार्यों के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

स्टॉक ब्रोकर ग्राहक के अनुरोध पर ई-मेल द्वारा ऑर्डर/ट्रेड पुष्टि भेजेगा। ग्राहक जानता है कि ऑर्डर/ट्रेड पुष्टि वेब पोर्टल पर भी उपलब्ध है। यदि ग्राहक वायरलेस तकनीक से ट्रेड करता है, तो स्टॉक ब्रोकर ग्राहक के डिवाइस पर ऑर्डर/ट्रेड पुष्टि भेजेगा।

ग्राहक जानता है कि इंटरनेट पर ट्रेडिंग में अनेक अनिश्चित कारक तथा जटिल हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर/सिस्टम/कम्युनिकेशन लाइन/पेरिफेरल शामिल हैं, जिनमें बाधा/विघटन हो सकता है। स्टॉक ब्रोकर और एक्सचेंज यह कोई गारंटी नहीं देते कि IBT सेवा हमेशा बिना बाधा उपलब्ध रहेगी।

IBT सिस्टम/सेवा या एक्सचेंज के सिस्टम/सेवा में निलंबन, बाधा, अनुपलब्धता, खराबी या लिंक/सिस्टम फेल होने (ग्राहक/ब्रोकर/एक्सचेंज स्तर पर) के कारण आदेश निष्पादित न होने पर, यदि कारण स्टॉक ब्रोकर/एक्सचेंज के नियंत्रण से बाहर हो, तो ग्राहक का एक्सचेंज या स्टॉक ब्रोकर के विरुद्ध कोई दावा नहीं होगा।

लाभकारी स्वामी (BO) और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (DP) के अधिकार एवं दायित्व

(SEBI और डिपॉजिटरी द्वारा निर्धारित)

सामान्य क्लॉज

1. लाभकारी स्वामी (BO) और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (DP) Depositories Act, 1996, SEBI (Depositories and Participants) Regulations, 2018, SEBI के नियम-विनियम, समय-समय पर जारी परिपत्र/अधिसूचना/दिशानिर्देश, डिपॉजिटरी के उपविधि और व्यवसाय नियम/ऑपरेटिंग निर्देश तथा लागू सरकारी अधिसूचनाओं से बंधे होंगे।



2. DP, केवल तभी BO का डिमैट खाता खोले/सक्रिय करेगा जब SEBI द्वारा निर्दिष्ट पूर्ण खाता खोलने का फॉर्म, KYC तथा सहायक दस्तावेज प्राप्त हो जाएँ।

BO जानकारी

3. DP, खाता खोलने के फॉर्म, जमा दस्तावेज तथा BO से संबंधित अन्य जानकारी को गोपनीय रखेगा और विधिक/नियामकीय आवश्यकता के अलावा किसी को प्रकट नहीं करेगा।
4. BO, खाते की जानकारी में किसी परिवर्तन पर तुरंत लिखित रूप में DP को सूचित करेगा।

शुल्क/चार्ज/टैरिफ

5. BO, प्रतिभूतियों को डिमैट रूप में रखने/हस्तांतरण तथा डिपॉजिटरी सेवाएँ लेने हेतु DP को वे शुल्क देगा जो टैरिफ शीट में और DP-BO के बीच समय-समय पर सहमत हों। BO को बताया जा सकता है कि “डिमैट खाता खोलने के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।”
6. Basic Services Demat Accounts के मामले में DP, SEBI/डिपॉजिटरी के प्रासंगिक परिपत्र/निर्देशों के अनुसार शुल्क संरचना का पालन करेगा।
7. DP, सहमत शुल्क/टैरिफ में वृद्धि तभी करेगा जब उसने BO को कम-से-कम 30 दिन पूर्व लिखित सूचना दी हो।

डीमैटेरियलाइज़ेशन

8. BO को अधिकार है कि डिपॉजिटरी में स्वीकृत प्रतिभूतियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार डिमैट रूप में परिवर्तित कराए।



अलग खाते

9. DP प्रत्येक BO के नाम अलग खाता खोलेगा और प्रत्येक BO की प्रतिभूतियाँ अलग रखी जाएँगी; अन्य BO/DP की स्वयं की प्रतिभूतियों के साथ मिश्रित नहीं होंगी।
10. DP, Depositories Act/DP Regulations/डिपॉजिटरी के नियमों में निर्धारित तरीके के अलावा, प्रतिभूतियों पर गिरवी/हाइपोथीकेशन या अन्य भार/हित बनाने की सुविधा नहीं देगा।

प्रतिभूतियों का हस्तांतरण

11. DP, केवल BO द्वारा विधिवत अधिकृत आदेश/निर्देश/मेंडेट के आधार पर ही BO के डिमैट खातों में/से हस्तांतरण करेगा तथा ऐसे प्राधिकरणों के मूल दस्तावेज व ऑडिट ट्रेल बनाए रखेगा।
12. BO को अपने डिमैट खाते में प्रतिभूतियों के क्रेडिट हेतु स्थायी निर्देश (standing instructions) देने का अधिकार है और DP ऐसे निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा।

खाते का विवरण (Statement of Account)

13. DP, SEBI/डिपॉजिटरी के अनुसार सहमत समय/रूप में BO को स्टेटमेंट देगा।
14. वर्ष के दौरान बैलेंस Nil हो जाने पर DP वर्ष में एक बार होल्डिंग स्टेटमेंट ई-मेल से भेजेगा और खाते में लेन-देन होने पर ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट फिर से भेजना शुरू करेगा। जिन खातों में क्रेडिट बैलेंस हो पर वर्ष में लेन-देन न हो, उन्हें अर्ध-वार्षिक होल्डिंग स्टेटमेंट ई-मेल से भेजा जाएगा।
15. DP इलेक्ट्रॉनिक मोड में डिजिटल हस्ताक्षर सहित स्टेटमेंट जारी करेगा (IT Act, 2000 के अनुसार)। यदि सुविधा न हो, तो भौतिक स्टेटमेंट भेजेगा।



16. Basic Services Demat Accounts में DP, SEBI/डिपॉजिटरी द्वारा अनिवार्य ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट भेजेगा।

डिमैट खाता बंद करने की प्रक्रिया

17. DP किसी भी कारण से BO का डिमैट खाता बंद कर सकता है, बशर्ते DP ने BO और डिपॉजिटरी को कम-से-कम 30 दिन पूर्व लिखित सूचना दी हो। BO भी अपना खाता बंद कर सकता/सकती है, यदि DP को कोई शुल्क देय न हो। इस स्थिति में BO बताएगा कि बैलेंस को दूसरे डिमैट खाते में ट्रांसफर करना है या रीमैटेरियलाइज़ करना है।
18. BO के निर्देशानुसार DP 30 दिनों के भीतर (डिपॉजिटरी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार) ट्रांसफर/रीमैट प्रक्रिया शुरू करेगा। खाता बंद होने से BO/DP के अधिकार-दायित्व समाप्त नहीं होंगे; वे पूर्ण निपटान तक लागू रहेंगे।

शुल्क भुगतान में चूक

19. क्लॉज 5/6 के अंतर्गत देय राशि की मांग के 30 दिन के भीतर भुगतान न होने पर, DP डिपॉजिटरी द्वारा निर्दिष्ट ब्याज दर से ब्याज लगा सकता है (खाता बंद करने के अधिकार को प्रभावित किए बिना)।
20. यदि BO भुगतान नहीं करता, तो DP 2 दिन का नोटिस देकर BO के निर्देशों की प्रोसेसिंग रोक सकता है जब तक भुगतान (और ब्याज, यदि कोई) न हो जाए।

डिपॉजिटरी की देयता

21. Depositories Act, 1996 की धारा 16 के अनुसार:
- डिपॉजिटरी/पार्टिसिपेंट की लापरवाही से BO को हुई हानि की भरपाई डिपॉजिटरी करेगी।
 - यदि DP की लापरवाही के कारण हुई हानि की भरपाई डिपॉजिटरी ने की है, तो



डिपॉजिटरी को DP से वह राशि वसूलने का अधिकार होगा।

खाते को फ्रीज़/डी-फ्रीज़ करना

22. BO, उपविधि/व्यवसाय नियम/ऑपरेटिंग निर्देशों के अनुसार अपना डिमैट खाता फ्रीज़/डी-फ्रीज़ कर सकता/सकती है।
23. किसी नियामक/न्यायालय/वैधानिक प्राधिकरण के निर्देश पर DP/डिपॉजिटरी BO के खाते को फ्रीज़/डी-फ्रीज़ कर सकता है।

निवेशक शिकायत निवारण

24. DP, BO की शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 21 दिनों के भीतर शिकायत का निवारण करेगा।

अधिकृत प्रतिनिधि

25. यदि BO कोई कॉर्पोरेट/कानूनी इकाई है, तो वह खाते के साथ अधिकृत अधिकारियों की सूची DP को देगा; किसी भी परिवर्तन की सूचना तुरंत DP को दी जाएगी।

कानून और अधिकार क्षेत्र

26. इस दस्तावेज़ में दिए गए अधिकारों के अतिरिक्त, DP और BO को संबंधित डिपॉजिटरी के नियम/उपविधि/विनियम और SEBI के नियम/विनियम/परिपत्रों के तहत अन्य अधिकार प्राप्त होंगे।
27. यह दस्तावेज़ हमेशा सरकारी अधिसूचनाओं, SEBI तथा संबंधित डिपॉजिटरी के नियम/विनियम/उपविधियों के अधीन रहेगा।



28. DP और BO, डिपॉजिटरी के उपविधियों में निर्धारित सुलह/मध्यस्थता प्रक्रिया का पालन करेंगे; यही प्रक्रिया DP और BO के बीच विवादों पर लागू होगी।
29. अपरिभाषित शब्द/अभिव्यक्तियाँ संदर्भ अन्यथा न हो तो डिपॉजिटरी/SEBI के नियमों में दिए गए अर्थ ही रखेंगी।
30. SEBI/डिपॉजिटरी द्वारा निर्दिष्ट अधिकारों/दायित्वों में परिवर्तन होने पर ग्राहकों को तुरंत सूचित किया जाएगा।
31. यदि SEBI/डिपॉजिटरी के नियमों में बदलाव से अधिकार/दायित्व बदलते हैं, तो वे इस दस्तावेज़ में सम्मिलित माने जाएँगे।

निवेशकों के लिए करें और न करें (Dos and Don'ts)

करें (Do's)

- खाता खोलने का फॉर्म साइन करने से पहले सभी दस्तावेज़ और शर्तें ध्यान से पढ़ें।
- KYC की प्रति, खाता खोलने के दस्तावेज़ों की प्रति और Unique Client Code प्राप्त करें।
- ट्रेडिंग तथा क्लियरिंग/सेटलमेंट प्रक्रियाओं से जुड़े उत्पाद/ऑपरेशनल फ्रेमवर्क/टाइमलाइन पढ़ें।
- ब्रोकरेज, फीस और अन्य शुल्कों की पूरी जानकारी प्राप्त करें।
- ट्रेडिंग, डिमैट और बैंक खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर करें ताकि लेन-देन अलर्ट मिलते रहें।



- यदि DDPI निष्पादित किया हो, तो उसकी प्रति प्राप्त करें। (DDPI SEBI/स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार अनिवार्य नहीं है। देने से पहले उसके दायरे और प्रभाव को ध्यान से समझें।)
- निष्पादित ट्रेड के 24 घंटे के भीतर कॉन्ट्रैक्ट नोट प्राप्त करें, जिसमें ट्रांजैक्शन प्राइस, ब्रोकरेज, GST, STT/CTT आदि अलग-अलग दिखाए गए हों।
- SEBI/एक्सचेंज द्वारा तय समय के अनुसार धन और प्रतिभूतियाँ/कमोडिटी समय पर प्राप्त करें।
- ट्रेड, कॉन्ट्रैक्ट नोट और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का सत्यापन करें और किसी विसंगति पर संबंधित प्राधिकरण से संपर्क करें।
- एक्सचेंज की ट्रेड-वेरिफिकेशन सुविधा द्वारा एक्सचेंज वेबसाइट पर ट्रेड विवरण सत्यापित करें।
- समय-समय पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट प्राप्त करें। यदि “रनिंग अकाउंट सेटलमेंट” चुना हो, तो स्टॉक ब्रोकर को ग्राहक के विकल्प (मासिक/त्रैमासिक) के अनुसार सेटलमेंट करना होगा।
- शिकायत होने पर स्टॉक ब्रोकर/स्टॉक एक्सचेंज/SEBI से संपर्क करें और निर्धारित समय-सीमा में समाधान कराएँ।
- ट्रेडिंग से जुड़े दस्तावेज़ सुरक्षित रखें, इससे विवाद होने पर समाधान में मदद मिलती है।

न करें (Don'ts)

- अपंजीकृत स्टॉक ब्रोकर से लेन-देन न करें।
- खाते खोलने और KYC में खाली जगहें (blanks) काटना/हटाना न भूलें।



- अधूरा खाता खोलने का फॉर्म या अधूरा KYC फॉर्म जमा न करें।
- ट्रेडिंग खाते से जुड़ी जानकारी में बदलाव होने पर सूचित करना और सिस्टम में अपडेट की पुष्टि लेना न भूलें।
- ट्रेडिंग हेतु धन स्टॉक ब्रोकर के अलावा किसी और को ट्रांसफर न करें। स्टॉक ब्रोकर के कर्मचारी के नाम भुगतान न करें।
- स्टॉक एक्सचेंज से ट्रेड के संबंध में आए ईमेल/SMS को अनदेखा न करें; विसंगति दिखे तो तुरंत मुद्दा उठाएँ।
- यदि कंप्यूटर से परिचित नहीं हैं, तो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स का विकल्प न चुनें।
- ट्रेडिंग पासवर्ड साझा न करें।
- निश्चित/गारंटीड रिटर्न योजनाओं के झाँसे में न आएँ।
- धोखेबाजों द्वारा ईमेल/SMS के जरिए “भारी मुनाफे” का लालच देकर स्टॉक्स/प्रतिभूतियों में ट्रेड कराने के जाल में न फँसें।
- निवेश में भीड़-चाल (herd mentality) न अपनाएँ; विशेषज्ञ और पेशेवर सलाह लें।

अगर आप चाहें तो मैं इसे (a) अधिक “सरल हिंदी” या (b) अधिक “कानूनी/औपचारिक हिंदी” में भी री-फॉर्मेट करके दे सकता/सकती हूँ, ताकि प्रिंट/पीडीएफ में सीधे इस्तेमाल हो सके।